(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना संख्या 35/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक: 25 अप्रैल, 2018

विषय: विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.05(ख) में संशोधन।

सा0 आ0 (अ0): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा परिवर्ती व्यवस्थाओं के संबंध में विदेश व्यापार नीति (2015–20) के पैरा 1.05(ख) के प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन करती है:

1.05: परिवर्ती व्यवस्थाएं

मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
(ख) यदि इस विदेश व्यापार नीति के तहत मुक्त रूप से किए जा सकने वाले किसी निर्यात या आयात पर बाद में कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या उसे विनियमित किया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध या विनियमन के बावजूद सामान्यतः ऐसे निर्यात या आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो। यह इस शर्त के अधीन है कि निर्यात या आयात का पोत लदान ऐसे प्रतिबंध लगाने की तारीख से पूर्व लागू अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख–पत्र की मूल वैधता अवधि के भीतर किया गया हो और यह इस अपरिवर्तनीय साख पत्र की उपलब्ध शेष मूल्य और मात्रा तथा समयावधि तक सीमित हो। ऐसे अपरिवर्तनीय साख–पत्र के परिचालन के लिए आवेदक को किसी ऐसे प्रतिबंध या विनियम के लागू होने के 15 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) के पास साख पत्र का पंजीकरण कराना होगा जिसकी कम्प्यूटरीकृत रसीद दी जाएगी।	(ख) आईटीसी (एचएस) अनुसूची I और अनुसूची II में क्रमशः मदवार आयात/निर्यात नीति का विवरण दिया गया है। किसी विशेष मद की आयात योग्यता/निर्यात योग्यता आयात/निर्यात की तारीख की स्थिति के अनुसार नीति द्वारा शासित होती है। आयात/ निर्यात की तारीख प्रक्रिया पुस्तक, 2015–20 के पैरा 2.17 में परिभाषित की गई है। आयात और निर्यात की तारीख पर निर्णय लेने हेतु लदान और पोत लदान बिल प्रमुख दस्तावेज हैं। नीति के 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित/निषिद्ध/राज्य व्यापार' अथवा 'अन्यथा विनियमित' में परिवर्तन की स्थिति में ऐसे विनियमन/प्रतिबंध की तारीख से **पहले** किया गया आयात/निर्यात प्रभावित नहीं होगा। तथापि, खुले समुद्र में बिक्री के जरिए किया जाने वाला आयात इस सुविधा के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अलावा, ऐसे विनियमन/प्रतिबंध की तारीख **को या इसके पश्चात्** आयात/निर्यात की अनुमति तभी होगी जब आयातक/निर्यातक ने ऐसे प्रतिबंध/विनियमन लगाए लाने की तारीख से पहले अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख पत्र (आईसीएलसी) के जरिए वचनबद्धता की हो और यह अनुमति आईसीएलसी में उपलब्ध शेष मात्रा, मूल्य और अवधि तक सीमित होगी। ऐसे आईसीएलसी के प्रचालन हेतु आवेदक को ऐसे प्रतिबंध/विनियमन के लगाए जाने के 15 दिन के भीतर क्षेत्राधिकार आरए के साथ आईसीएलसी को पंजीकृत कराकर कम्प्यूटरीकृत पर्ची लेनी होगी। जब भी, सरकार किसी विशेष वस्तु से संबंधित नीति में परिवर्तन करती है, तो यह परिवर्तन भावी रूप से (अधिसूचना की तारीख से) लागू होगा जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया जाए।

2. **इस अधिसूचना का प्रभाव:** परिवर्ती व्यवस्थाओं के प्रावधान का विवरण विदेश व्यापार नीति (2015–20) के पैरा 1.05(ख) के तहत दिया गया है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेल: dgft@nic.in

[फा0 सं0 01/93/180/05/एएम–18/पीसी–2(ख)]–ई 1192 से जारी]